उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी–02 /स्थापना/प्रबन्ध समिति/2022–23 दिनांकः 04-04-2022

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

बैंक प्रबन्ध समिति/शाखा प्रबन्ध समिति के गैर वेतनभोगी सदस्यों को उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 नियम संख्या 388(ख) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरुप दैनिक भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है। शासनादेश सं0 1427(1)/49–1–21–8(56)/13 टीसी–बी दिनांक 03.12.21 द्वारा उक्त नियमावली के नियम सं0 388(ख) में दैनिक भत्ता रू0 150.00 के स्थान पर रू0 450.00 का सशोंधन किये जाने के फलस्वरुप दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अवक्रमित करते हुये अधोलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

1. सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को रुपया 150/– प्रतिदिन के स्थान पर रुपया 450/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता तथा पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दिवस के लिये उक्त दर पर दैनिक भत्ता देय होगा।
2. प्रबन्ध समिति सदस्य के लिए आहूत प्रबन्ध समिति की बैठक या उप समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को रुपया 150/– प्रतिदिन के स्थान पर रुपया 450/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता तथा पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दिवस के लिये उक्त दर पर दैनिक भत्ता देय होगा।
3. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की बैंक मुख्यालय में बैठक के अतिरिक्त बैंक के अन्य करोबार दिवस में केवल 450/– रू0 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।
4. शाखा प्रबन्ध समिति की बैठक में भाग लेने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि(शाखा प्रबन्ध समिति के ऐसे अध्यक्ष जोकि बैंक के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं) को रू0 450/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देया होगा। अन्य नामित सदस्यों को बैंक परिपत्र सं0 सी–187/कार्मिक/सा0नि0/01–02 दिनांक 29.11.01 में निर्धारित दर रू0 50/– दैनिक भत्ता पूर्ववत दिया जायेगा।

उक्त सशोंधन शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू होगा।

उपरोक्तानुसार प्रबन्ध समिति के सदस्य एवं शाखा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य नामित गैर सरकारी सदस्यों को दैनिक भत्ता प्रदान किया जाय। जिन यात्रा बिलों का भुगतान कर दिया गया है उसे रिओपेन(reopen) नहीं किया जायेगा।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. बैंक प्रबन्ध समिति के संचालक सदस्य/शाखा प्रबन्ध समिति के सदस्यगण को।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. व्यैयक्तिक सहायक(सभापति कैम्प), को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक